न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–599–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–02–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–401/1996–97/अपील

.....

1– आनन्द प्रसाद पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद मिश्र
2– श्री महेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री आनन्द प्रसाद मिश्र
3– रंगनाथ पुत्र श्री आनन्द प्रसाद मिश्र
निवासीगण–ग्राम मंगतपुरा थाना लौर,
तहसील मऊगंज, जिला–रीवा(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

श्री सूर्यमणि प्रसाद पुत्र श्री रघुनंदनराम
निवासी– ग्राम मंगतपुरा, थाना लौर
तहसील मऊगंज, जिला–रीवा(म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 05–02–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भगतपुरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 144 व 145 स्थित पुस्तैनी रास्ता को खसरे में दर्ज किये जाने हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र नायब तहसीलदार मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17.10.1996 को रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । आवेदक ने इसी आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.07.1997 से अपील निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । जहां अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 401/1996—97/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.02.2007 से अपील सारहीन होने से निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक सूर्यमणि ने दिनांक 13.10.1993 को भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 131—132 के तहत नायब तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 144 व 145 पर पुस्तैनी रास्ता चालू किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार मऊगंज ने राजस्व निरीक्षक देवतालाव से मौके की जांच कराने के उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसमें यह लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 144 व 145 पर अनावेदक का पुस्तैनी रास्ता पाया है । उक्त रास्ता पूर्व में आवेदक की सहमति से चालू है और इसी रास्ते से अनावेदक के परिवार का आना जाना है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त

विवादित रास्ता चालू है। प्रकरण के जांच एवं परीक्षण तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ही नायब तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि नायब तहसीलदार ने कोई नया आदेश पारित नहीं किया है बल्कि विवादित रास्ता के संबंध में चल रहे विवाद निर्णित प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में खसरा में आवश्यक प्रविष्टि करने के निर्देश दिये है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है और जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थिति को देखते हुये अपर आयुक्त का आदेश 05.02.2007 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,